2018/00022

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूणकरणसर, जिला बीकानेर

बनाम श्री शिवलाल S/o गुरनाम 91 मय 6/58

किस्म मुकदमा — आवंटन

एल. आर. एक्ट 1955 की धारा 91

मुकदमा नम्बर 14/18 वर्ष 2018 फसल [illegible]

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की [illegible]
	पटवारी हल्का [illegible] की रिपोर्ट मय पत्रावली मुस्तीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/चक [illegible] के खसरा नं./मुरब्बा [illegible] तादादी [illegible] बीघा राजकीय भूमि पर कब्जा [illegible] कर लिया। अप्रार्थी को धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जावे। [illegible] हेतु दिनांक [illegible] को पेश हो।	[illegible] 24 [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

नायब

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

प्रकरण संख्या 14 / 2018 दिनांक: 8/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] ने रिपोर्ट (पी–4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल शिवलाल पुत्र सुरजाराम जाति [illegible] साकिन [illegible] ने ग्राम [illegible] के खसरा नं0 168 रकबा 0.07 बीघा जोहड पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त / बाड़ा / कच्चा / पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिकमण किया है।

सम्बधित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बधिंत गैर सायल शिवलाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति [illegible] साकिन [illegible] ग्राम [illegible] खसरा नं0 168 रकबा 0.07 बीघा के अतिचार करने पर राज. भू–राजस्व, अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा भू–राजस्व 0.18 [illegible] का 50 गुणा रूपये 9/- शास्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबधिंत गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत ओ.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/2018 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner